न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–। (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/2010/65

1. निसार
2. कयूम
3. भूरे खॉं

   पुत्रान खाजें खां

4. श्रीमती शकीला पत्नि कयूम खॉं

   समस्त जाति मुसलमान, निवासीगण खो–नागोरियान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जिला जयपुर।
3. इब्राहीम पुत्र अलादीन खॉं
4. मजीद पुत्र अलादीन खॉं
5. अलीसेर पुत्र अलादीन खॉं
6. हमीद खॉं पुत्र अलादीन खॉं

   समस्त जातियान् मुसलमान् निवासीगण खो–नागोरियान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरारहक, इन्द्राज दुरूस्ती एवं

स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट.

निर्णय दिनांक : 07/01/2022

वादीगण की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि वादीगण एवं प्रोफार्मा प्रतिवादीगण एक ही कुटुम्ब के सदस्य है तथा ग्राम खो–नागोरियान तहसील सांगानेर के काश्तकार व्यक्ति है। जिनका सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

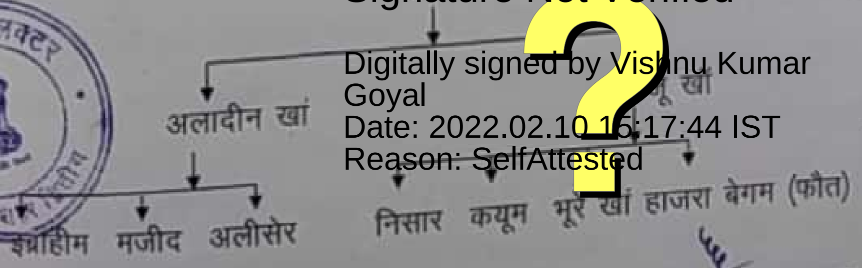

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 16:17:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

वादीगण एवं प्रोफ्रामा प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नंबर 1971 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 2903 रकबा 0.19 है0 व 2904/4677 रकबा 0.04 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.23 हैक्टीयर ग्राम खो–नागोरियान तहसील सांगानेर बनाये गये जो गत भू–प्रबंध कार्यवाही के तहत बनाये गये है। यह कि सर्वमान्य प्रतिपादित सिद्वान्त (सेटल लॉ) है कि भू–प्रबंध विभाग को रिकॉर्ड ऑफ राईट्स, राजस्व नक्शा ट्रेस एवं खातेदारी की भूमि में परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है यदि ऐसा हेरफेर किया गैया है तो वह अवैध है एवं क्षैत्राधिकार से परे निर्णय माना जायेगा। वादीगण एवं प्रोफ्रामा प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नंबर 1971 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा का मैट्रिक प्रमाली से रकबा 0.29 हैक्टीयर होता है जबकि सैटलमेन्ट कार्यवाही में भू–प्रबंध कर्मचारियों ने 0.06 हैक्टीयर भूमि कम कर सरकारी भूमि में मिला दी जबकि वादीगण का संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार मौके पर 0.29 हैक्टीयर भूमि पर कब्जाकाश्त वर्तमान तक चला आ रहा है। वादीगण अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1971 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा की दुरूस्ती करवाकर अर्थात् भूप्रबंध कार्यवाही के दौरान उक्त खसरा नंबर 2903 व 2904/4677 किता दो कुल रकबा 0.23 हैक्टीयर भूमि जिसमें 0.06 हैक्टीयर भूमि कम कर सरकारी भूमि में मिला दी गई को दुरूस्त कराने का अधिकारी है। वादीगण अपनी भूमि में दिनांक 02.12.2010 को काश्त कर रहे थे तभी प्रतिवादीगण के कारकुनान ने आकर धमकी दी कि यह सरकारी भूमि है इससे तुम्हें बेदखल करेगें तब वादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त की तथा दावा घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 2904/4677 की सहखातेदार हाजरा बेवा खाजू खॉं का देहावसान हो चुका है उनके वारिस प्रोफ्रमा प्रतिवादीगण है। वादकारण दिनांक 02.12.2010 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 कर्मचारियों द्वारा जबरन बेदखल करने की धमकी देने से लगातार उत्पन्न होकर दावा घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि [illegible] वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री [illegible] इस अमर की सादर फरमाई जावे [illegible] वाद [illegible] वर्णित भूमि में दौराने कार्यवाही सेटलमेन्ट 0.06 हैक्टीयर अकारण कम [illegible] सरकारी भूमि में दर्ज की गई है उसे दुरूस्त किया जावे [illegible] खसरा नंबर 1971 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा जिसके मैट्रिक प्रणाली से 0.29 हैक्टीयर होती है भूमि के खातेदार काश्तकार है दुरूस्ती कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:17:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

घोषणा फरमाई जावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त आराजीयात के उपयोग–उपभोग, कब्जेकाश्त व हक–हिस्से में प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार की बेजादखलन्दाजी, मजाहमत न स्वयं करे न अन्य किसी से करावें, न जबरन वादग्रस्त भूमि से बेदखल करे न करावें, वादग्रस्त भूमि का बेचान, हस्तान्तरण आदि न करे न करावें जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पाबन्द फरमाया जावें।

वकील वादीगण ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ भू–जमाबंदी खसरा नंबर 2903, 2904/4677 ग्राम खोनागोरियान, संवत् 2063–66, नकल नक्शा ट्रेस खसरा नंबर 2903, 2904/4677 ग्राम खोनागोरियान, मूल नक्शा ट्रेस खसरा नंबर 1971 संवत् 1947, 48, नकल पर्चा खतौनी, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल खतौनी बन्दोबस्त खसरा नंबर 1971 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दुष्यंत कुमार अवस्थी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जवाब दावे हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी जवाब दावा पेश नही करने पर जवाब दावे का अवसर बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई। वकील वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र कयूम खॉ पुत्र खाजू खॉं शकीला पत्नी कयूम खॉं, निसार खॉं पुत्र खाजू खॉं पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वादग्रस्त आराजीयात की तहसीलदार सांगानेर से रकबा बरारी रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार सांगानेर ने न्यायालय आदेश की पालना में रकबा बरारी रिपोर्ट प्रेषित की जिसमें अंकित है कि खसरा नंबर 2903 रकबा 0.19 हैक्टेयर व खसरा नंबर 2904/4677 रकबा 0.04 हैक्टेयर वाकै ग्राम खोनागोरियान जमाबंदी अनुसार शकीला पत्नी कयूम खां जाति मुसलमान सा0देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है मौके पर [illegible] है एवं नींव बनी हुई है+ साबिक खसरा नंबर की रकबा बरारी करने [illegible] 0.23 हैक्टेयर भूमि बनती है तथा हाल खसरा नंबर 2903 व 2904/4677 की [illegible] बरारी करने से 0.23 है0 भूमि बनती है। इस प्रकार [illegible] व हाल खसरा नंबर की रकबा बरारी करने से 0.23 हैक्टेयर भूमी ही बनती है। मुताबिक भू–प्रबंध विभाग के तुलनात्मक मिलान क्षेत्रफल के साबिक खसरा नंबर 1971 रकबा 1 बीघा 3

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 16:17:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

बिस्वा के नये खसरा नंबर 2903, 2904/4677 रकबा 0.23 हैक्टेयर बने है जिसमें 0.06 हैक्टेयर की तुलनात्मक कमी होना अंकित किया गया। अतः तथ्यात्मक रिपोर्ट यह है कि साबिक खसरा नंबर 1971 की खातेदारी 1 बीघा 3 बिस्वा थी किन्तु रकबा बरारी में 0.23 हैक्टेयर भूमि होना ही प्रतीत होता है।

तत्पश्चात तहसीलदार सांगानेर से वादग्रस्त आराजीयात की मौका स्थिति रिपोर्ट चाही गई। न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसमें अंकित है कि मुताबिक हाल जमाबंदी संवत् 2071–2074 के खसरा नंबर 2903 रकबा 0.19 है0 व 2904/4677 की खातेदारी शकीला पत्नी कयूम खां के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। खातेदार के कब्जे को नाप कर देखा गया। मुताबिक सर्वे खातेदार 0.29 हैक्टेयर भूमि पर काबिज है। पूछताछ के दौरान लोगो ने बताया की खातेदार शकीला के पति कयूम खां की यह पूर्वजों की जमीन है। जो पुरखों से पूर्व खातेदारी रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा पर ही काबिज रहकर खेती करते आ रहे है। एवं आज भी उक्त भूमि पर ही काबिज है। मौके पर भूखण्ड है। जिन पर नींव भरी है। जो कि लगभग 0.23 हैक्टेयर में है। शेष भूमि 0.06 हैक्टेयर खाली पडी है। जिस पर भी खातेदारान् का ही कब्जा है। जो कि खसरा नंबर 2999 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम दर्ज है। तथ्यात्मक रिपोर्ट यह है कि उक्त आराजीयात के साबिक रकबा 1971 का रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा खातेदारी दर्ज था जिसे पर काबिज है। इसमें राजहित प्रभावित होता है।

वादपत्र पर बहस वकील वादी सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। प्रदर्श–1 खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) संवत् 2015–34 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त अराजीयात खसरा नंबर 1971 का रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा था जिसके खातेदार मीर खां वल्दू नाथू खां कौम मुसलमान थे। प्रदर्श–5 मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि साबिक खसरा नंबर 1971 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 2903 रकबा 0.19 हैक्टेयर व 2904/4677 रकबा 0.04 हैक्टेयर बनाये गये व विशेष विवरण में अंकित है कि कमी 0.06 अंकित है। प्रदर्श–2 हाल जमाबंदी संवत् 2063–2066 में खसरा नंबर 2904/4677 व 290[illegible] [illegible]र वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 से 6 दर्ज रिकॉर्ड है जिनका रकबा [illegible] हैक्टेयर बनता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि [illegible] की भूमि साबिक खसरा नंबर 1971 का रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा था। बन्दोबस्त विभाग द्वारा साबिक खसरा नंबर 1971 के नवीन खसरा नंबर 2904/4677 व 2903 कुल

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 16:17:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

किता 2 कुल रकबा 0.23 हैक्टेयर बनाये गये व विशेष विवरण में 0.06 हैक्टेयर की कमी दर्ज की गई। वादीगण द्वारा उक्त वाद में बन्दोबस्त विभाग द्वारा कम की गई भूमि हेतु घोषणा का वाद प्रस्तुत कर घोषणा चाही है। तहसीलदार सांगानेर ने अपनी मौका स्थिति रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि वादीगण वर्तमान में 0.29 हैक्टीयर भूमि पर काबिज है जिसमें से 0.23 हैक्टीयर भूमि पर नीव भरी हुई है व 0.06 हैक्टेयर भूमि खाली है जिस पर वादीगण का कब्जा है जो कि खसरा नंबर 2999 जयपुर विकास प्राधिकारण के नाम दर्ज है और इसमें राजहित प्रभावित होता है। तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2051–2054 वाकै ग्राम खोनागोरियान तहसील सांगानेर के खसरा नंबर 2999 का अवलोकन किया गया। खसरा नंबर 2999 की खातेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम है और इसकी किस्म गै0मु0 नाला दर्ज है। तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा जिस वादग्रस्त भूमि पर कब्जा बताते हुए घोषणा चाही है वह भूमि खसरा नंबर 2999 किस्म गै0मु0 नाला है जो जयपुर विकास प्राधिकरण सरकार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण अपने वाद में यह सिद्व नही कर पाये है कि वादीगण की भूमि में बन्दोबस्त विभाग द्वारा जो 0.6 हैक्टेयर कमी का नोट अंकित किया गया वह भूमि किसकी खातेदारी में अंकित हुई और वर्तमान में उक्त भूमि पर कौन काबिज है जबकि वादीगण द्वारा बिना किसी आधार व दस्तावेजात के बिना भूमि खसरा नंबर 2999 किस्म गै0मु0 नाला है जो जयपुर विकास प्राधिकरण सरकार के नाम दर्ज है उसमें घोषणा चाही गई है। जिस पर खातेदारी अधिकार दिया जाना कतई संभव नही है। अतः वादीगण का वाद अपोषणीय होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद नंबर से कम ... दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/01/2022 को सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:17:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** व इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)**

निसार खां | **बनाम** | सरकार वगै.

दावा बाबत् इस्तकरारहक, इन्द्राज दुरूस्ती एवं

स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट.

मुकदमा नम्बर – दावा/2010/65

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील ᵞ........ मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा जिस वादग्रस्त भूमि पर कब्जा बताते हुए घोषणा चाही है वह भूमि खसरा नंबर 2999 किस्म गै0मु0 नाला है जो जयपुर विकास प्राधिकरण सरकार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण अपने वाद में यह सिद्व नही कर पाये है कि वादीगण की भूमि में बन्दोबस्त विभाग द्वारा जो 0.6 हैक्टेयर कमी का नोट अंकित किया गया वह भूमि किसकी खातेदारी में अंकित हुई और वर्तमान में उक्त भूमि पर कौन काबिज है जबकि वादीगण द्वारा बिना किसी आधार व दस्तावेजात के बिना भूमि खसरा नंबर 2999 किस्म गै0मु0 नाला है जो जयपुर विकास प्राधिकरण सरकार के नाम दर्ज है उसमें घोषणा चाही गई है। जिस पर खातेदारी अधिकार दिया जाना कतई संभव नही है। अतः वादीगण का वाद अपोषणीय होने से खारिज किया जाता है। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ....ᵞ.... मुबलिग ....ᵞ.... बाबत् ....ᵞ....
.... खर्चा इस मुकद्मे में मय सूद वगरह ....ᵞ.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....ᵞ.... का अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07/01/2022 को जारी की गई।

मुहर (सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय)

दस्तखत ...... सहायक कलक्टर

ओहदा ...... जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत [illegible]		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान		00	मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 16:17:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner